संख्या-527/2018/128/22-2-2018-17(102)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2018***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ (नारी बन्दी निकेतन) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी खेलावती पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे-5-द0या0/बैठक-17.12.2017 दिनांक 05.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार कारागार ने आदर्श कारागार, लखनऊ (नारी बन्दी निकेतन) में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी खेलावती पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू, जो-ग्राम-गुरैयनपुर, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 25.09.2005 को 01 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-82/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302,201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-2,कानपुरदेहात के आदेश दिनांक 19.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2017 तक 08 वर्ष 10 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी का जेल आचरण अच्छा व संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति व जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति **नहीं की** गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी खेलावती (बन्दी संख्या-2008) पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ कल्लू, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-527/2018/128(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ (नारी बन्दी निकेतन)।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।